

दिल्ली विश्वविद्यालय

(स्थापना शाखा-2(I))

संदर्भ संख्या स्था0-2(I)/2012/

दिनांक 10 अक्टूबर, 2012

परिपत्र


अधोहस्ताक्षरी को कहने के लिए निर्देश दिया गया है कि विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि उनके कार्यालय में प्रेषित होने वाले टिप्पण पत्रों पर सम्बन्धित सहायक (वरिष्ठ सहायक/ सहायक/कनिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक (संविदा)) के नाम एवं पद हिंदी में उल्लेखित होना अनिवार्य है। इसके लिये रबर की छोटी मोहर/सील का प्रयोग करना सुनिश्चित किया जाए।

उदाहरण: विनोद कुमार, व. सहा.

सहा.

क. सहा.

क. सहा. (सं.)



उप कुलसचिव (स्थापना)



दिल्ली विश्वविद्यालय University of Delhi

कुलसचिव
REGISTRAR

सं. स्था.-2(i)/2013/
01 अगस्त, 2013

ज्ञापन

उप कुलसचिव (स्थापना) कार्यालय के दिनांक 10 अक्टूबर 2012 के परिपत्र सं. स्था.-2(i)/2012 (संलग्न) के अधीन जारी किए निदेश के तहत विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों से प्रेषित होने वाले टिप्पण पत्रों पर संबंधित अनुभाग अधिकारी/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक/सहायक/कनिष्ठ सहायक (संविदा) के नाम एवं पद द्विभाषी रूप में उल्लेखित होना अनिवार्य है जिसके लिए मुहर/सील आदि का प्रयोग सुनिश्चित किया गया था। जिसके अनुपालन की अवहेलना को गंभीरता से लिया गया है।

अतः इस संदर्भ में अनुदेश दिया जाता है कि उक्त परिपत्र (संलग्न) में दिए गए निदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए अन्यथा उक्त कर्त्य प्रशासनिक कार्रवाई किया जाने योग्य होगा।

अमला शर्मा

कुलसचिव

संलग्नक : यथोपरि